बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07 / 2019 2027 (S) पटना, दिनांक 05/3/26

श्री अरविन्द कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभिंयता के विरूद्ध राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल लखीसराय एट मुंगेर के पदस्थापन काल में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–80 मोकामा–लखीसराय पथ के कि०मी० 0.00 से 11.00 तक में कराये गये कार्यो की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल से करायी गयी। उड़नदस्ता प्रमंडल से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोंपरांत आलोच्य पथ के कार्य में निम्नवत त्रुटियाँ / अनियमितताएँ पायी गयीः–

(i) पथ के कि०मी० 1 से 11 के अलग–अलग स्ट्रेच में BM कार्य कुल 4600m लंबाई में किया जाना था, परन्तु कुछ कि०मी० के प्रावधानित स्ट्रेच में BM कार्य न कराकर अन्य स्ट्रेच में BM कार्य कराया गया।

(ii) पथ के कि०मी० 1 में कराये गये BM कार्य की मुटाई क्रमशः 55mm तथा 23mm पायी गयी, औसतन मुटाई 39mm पायी गयी, जबकि प्रावधान 50mm का है।

2. वर्णित अनियमितताओं / त्रुटियों के लिए श्री अरविन्द कुमार वर्मा के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–8004 (S) अनु० दिनांक–29.09.2016 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु श्री वर्मा द्वारा स्पष्टीकरण का प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया।

3. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मामले की सम्यक् रूप से समीक्षा के उपरांत श्री अरविन्द कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर सम्प्रतिः सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को प्रमाणित पाये गये त्रुटियों का दोषी पाते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1514 (एस) दिनांक 11.02.2019 द्वारा इनके विहित समानुपातिक दायित्वों के अनुरूप सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (v) के तहत निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) **"दो (02) वार्षिक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"**

4. श्री वर्मा दिनांक 31.07.2020 को ही वार्धक्य रूप से सेवानिवृत हो गये, जिसके फलस्वरूप श्री वर्मा के विरूद्ध उक्त निर्गत दण्डादेश के कारण रूके हुए दोनों वेतनवृद्धियों का समायोजन नहीं हो सका और उनके विरूद्ध संसूचित लघु दण्ड, बृहद दण्ड के रूप में प्रभावी हो गया।।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय समीक्षोपरांत श्री वर्मा के विरूद्ध अधिसूचना संख्या–1514 (एस) दिनांक 11.02.2019 के द्वारा **"दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** के दण्ड को पुनरीक्षित करते हुए प्रतिस्थानी दण्ड के रूप में **"एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक"** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है और प्रतिस्थानी दण्डादेश उसी तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को मूल दण्डादेश निर्गत किया गया था।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07/2019 पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०वै०दा०नि०को०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07/2019 पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07/2019 पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।
अनु0–यथोक्त।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07/2019 पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबं०)/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग/मुख्य अभियंता सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग पटना/मुख्य सेतु विशेषज्ञ, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर/उप सचिव (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–30/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/13/14/एवं **श्री अरविन्द कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, लखीसराय एट मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, पत्राचार का पता–फ्लैट नं०–302, एस०एस० इन्कलेव, आशियाना दीघा रोड, डाकघर–वी०भी० कॉलेज, थाना–राजीवनगर, पटना–800014** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निबंधित

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07/2019 पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)उड़नदस्ता–07/2019 2028 (S) पटना, दिनांक 05/3/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

05/3/2026

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।